महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-05/753/84-डे0ई0-13-नि0-53/06टीसी-।

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 26 सितम्बर,2013

विषय:- श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, प्रबन्धक, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विरूद्ध पारित दण्डादेश दि0 02-04-08 पर की गयी अपील दिनांक 22-4-08 के निस्तारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-224स्था0एस0/बत्तीस-2013, दिनांक 20-8-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

(1) क्या सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25-9-1991 में दी गयी व्यवस्थानुसार निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 25-04-1998 में आदर्श आचरण अनुशासन और अपील नियमावली के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है यदि हाँ, तो अपील नियमावली एवं संबंधित शासनादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

(2) उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार अपील नियमावली बनाते समय नियमावली के नियम-3(क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (सक्षम अपीलीय प्राधिकारी) की नियुक्ति तत्समय क्यों नहीं की गयी इस संबंध में स्वत: स्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी जाय।

(3) निगम के अधिष्ठान संबंधी मामलों में अधिशासी निदेशक के आदेशों के विरूद्ध अपीलीय स्तर पर सुनवाई हेतु निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27-6-12 से पूर्व सक्षम प्राधिकारी किसे तथा किस स्तर से अधिकृत गया था संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(4) निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27-6-12 में निर्णय लिये जाने पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं

(5) निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27-6-12 में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को सक्षम अपीलीय प्राधिकारी अधिकृत किये जाने से पूर्व की कितनी अपीलें निगम में लम्बित हैं तथा उनका निस्तारण समयान्तर्गत न होने के कारण दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in